1.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

दावा संख्या 05/19

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक 15.03.2019

देवीलाल पुत्र राजकुमार उम्र 38 वर्ष जाति किराड निवासी नारानखेडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

वादी

बनाम

1–रामरतन पुत्र कल्लूराम जाति किराड निवासी नारानखेडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

वाद उपशमन दिनांक 01.04.2022

2–राजेश पुत्र रामरतन जाति किराड निवासी नारानखेडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

3–राकेश उर्फ काजू पुत्र रामरतन जाति किराड निवासी नारानखेडा तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183,188 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय–दिनांक 17.07.2025

उपस्थित

वादी की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से – श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम नारानखेडा पटवार क्षेत्र कुशियारा तहसील शाहाबाद में वादी के एकमात्र खाते व कब्जेकाश्त की आराजी खाता संख्या 82 ख0नं0 147/3 रकबा 12.00 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ स्थित है, जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। उक्त विवादित आराजी दिनांक 05.06.2002 को वादी के हक में विधिवत आवंटन की जाकर दिनांक 27.07.2002 को हल्का पटवारी द्वारा दखल व कब्जा संभलाया गया है तथा आवंटन शर्तों की पालना में गैरखातेदारी तदुपरान्त खातेदारी दर्ज की गई है तभी से वादी उक्त विवादित आराजी पर वहैसियत मालिक काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी में वादी के अलावा किसी अन्य का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण आपस में पिता पुत्र है जो गांव के प्रभावशाली धनाढय व ताकतवर लोग हैं। प्रतिवादी कम 1 पेशे से वकील है जो येन–केन प्रकारेण वादी की उक्त विवादित आराजी को वादी से छीनना चाहते हैं। इसी ध्येय से प्रतिवादीगण ने वर्ष 2009 में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर राजकुमार व विजयसिंह अहेडी निवासी नारानखेडा के जरिये वादी के विवादित अराज़ी आवंटन को खारिज कराने की नीयत से मिथ्या तथ्यों के आधार पर एक प्रार्थनापत्र नियम 14 (4) भूं राजस्व अधिनियम 1970 के तहत न्यायालय ए.डी.एम. शाहावाद में पेश कराया था, जिसे बाद विचारण न्यायालय ए. डी. [illegible] ने निर्णय दिनांक 29.07.2010 से खारिज फरमा दिया [illegible] पाकर बहाल रखा। गत वर्ष आषाढ महीने में प्रतिवादीगण ने मिलकर जबरन ताकत के बल पर वादी की उक्त विवादित आराजी पर [illegible] धान बो दी और अवैध

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:09:35 IST
Reason: SelfAttested

17.07.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner

रूप से कब्जा कर लिया। वादी ने इसका विरोध किया तो प्रतिवादीगण ने वादी को जान से खतम कर देने की धमकी दी, जिसकी रिपोर्ट वादी ने ततसमय ही थाना केलवाडा में पेश की, परन्तु प्रतिवादीगण ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर वादी की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं होने दी। वादी ने कई बार नायब तहसीलदार केलवाडा/तहसीलदार शाहाबाद के समक्ष शिकायत भी की पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और परिणामतः प्रतिवादीगण ने वादी की उक्त विवादित आराजी में गत वर्ष खरीफ की फसल धान काटकर पुनः रवि की फसल गेहूं वो दी है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने जबरन ताकत के बल पर वादी की उक्त विवादित आराजी पर अवैधानिक रूप से अतिक्रमण कर फसल वोकर कब्जा कर लिया है, जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य अवैध तथा मनमाना होकर अतिचारी की श्रेणी में आता है। इस कारण वादी अपनी खातेशुदा उक्त विवादित आराजी पर से प्रतिवादीगण को बेदखल कराकर पुनः कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है, बेदखली पश्चात प्रतिवादीगण भविष्य में पुनः वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, इस हेतु वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का अधिकारी व नालिशी है। इस हेतु यह नालिश पेश है। गत वर्ष आषाढ के महीने में प्रतिवादीगण द्वारा जबरन ताकत के बल पर वादी की उक्त विवादित आराजी पर अवैध कब्जा करने पर तथा वादी के विरोध करने के बावजूद भी अवैध कब्जा बनाये रखने पर वादी को वाद कारण प्राप्त हुआ है। विवादित आराजी श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत स्थित होने से न्यायालय श्रीमान को वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है। अतः वादपत्र पेश कर श्रीमान से प्रार्थना है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को वादी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 147/3 रकबा 12.00 बीघा ग्राम नरानखेडा पटवार हल्का कुशियारा तहसील शाहाबाद पर से बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को संभलाया जावे और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे भविष्य में वादी के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें न अन्य से करावें। अन्य न्यायोचित सहायता जो श्रीमान मुनासिब समझे वादी को प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता जबावदावा पेश कर दावे की सभी मद को गलत बताकर अस्वीकार किया गया और काउन्टरक्लेम पेश किया कि जिस व्यक्ति के द्वारा यह वाद पेश किया गया है वह न तो रामकुमार का पुत्र है, न ही राजकुमार का पुत्र है। वादी देवीलाल, शिवलाल पुत्र भंवरलाल किराड निवासी नारायनखेडा का पुत्र है। विवादित भूमि न तो वादी के खाते की है, न ही कब्जे की है। वादी द्वारा अपने आप को राजकुमार उर्फ रामकुमार का पुत्र बताकर यह वाद पेश किया है, जो एक आपराधिक कृत्य है जिसके विरूद्व धारा 340 सीआर.पी.सी के तहत प्रतिवादीगण द्वारा छल का मुकदमा माननीय न्यायालय द्वारा दर्ज कराया जावे। विवादित आराजी न तो कभी वादी को आवंटित हुई है, न ही दखल दिया गया है। दि. 05.06.2002 को ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:09:35 IST
Reason: SelfAttested

17.07.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner

नारानखेडा की आराजी ख0नं0 147 रकबा 12.00 बीघा देवीलाल पुत्र रामकुमार किराड निवासी नारानखेडा के नाम आवंटन होना रिकार्ड से प्रतीत होता है और इसी नाम के व्यक्ति को दिनांक 27.02.2002 को ख0नं0 147/1 की भूमि पर दखल देना रिकार्ड से प्रतीत होता है, जबकि इस नाम का व्यक्ति ग्राम नारानखेडा में न तो आवंटन के समय निवासरत था न ही वर्तमान में निवासरत है। इस तरह यह आवंटन बेनामी होकर फर्जी है। 147/1 की भूमि रामचरण पुत्र सुरेश मेहतर निवासी नारानखेडा के नाम दर्ज है जबकि वादी ख0नं0 147/3 की भूमि को अपनी होना तथा प्रतिवादीगण के कब्जे में होना बताता है। ख0नं0 147 में आज भी 24.00 बीघा भूमि सिवायचक दर्ज है, इसी में से 8.00 बीघा भूमि पिछले 30 वर्ष से प्रतिवादीकम 2 के कब्जे एवं स्वामित्व में है, जिसमें दो तरफ पत्थर कोट एक तरफ कांटे बाले तार तथा एक तरफ नाला है बीच में प्रतिवादी द्वारा निर्मित ग्रेवल रोड व रास्ते की तरफ गेट बना हुआ है, इसी जमीन को वादी विवादित बताकर फर्जी तरीके से छीनना चाहता है। राजकुमार और विजयसिंह से प्रतिवादीगण ने किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं कराई वो उनका आपसी विवाद है। वादी का ख0नं0 147 के किसी भी भाग पंर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है, बल्कि प्रतिवादीगण अपने कब्जे की भूमि को पिछले 30 सालों से काश्त करते आ रहे हैं, विवादित आराजी प्रतिवादीकम 2 के कब्जे एवं स्वामित्व की है, जिसे काश्त करते हुये 12 साल से अधिक का समय हो गया है और प्रतिवादीकम 2 के हक हकूक परिपक्व हो चुके हैं, इस कारण प्रतिवादीकम 2 विवादित आराजी पर अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है। वादी विवादित आराजी का न तो खातेदार है नं ही कब्जा है तथा वादी अपने आप को राजकुमार उर्फ रामकुमार का पुत्र बताकर यह वाद लाया है, जबकि वादी शिवलाल का पुत्र है। वादी को सिविल कोर्ट से अपने पिता के नाम की घोषणा कराये बिना इस न्यायालय में प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। भूमिधारक को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है, अतः असंयोजन का दोष होने से वाद चलने योग्य नहीं है। अतः वादी का वाद सव्यय खारिज किया जाकर प्रतिवादीकम 2 को काउन्टरक्लेम के आधार पर विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जावे।

वादी की ओर से जबावुल जबाव पेश कर कथन किया गया कि वादी की मां कान्हीबाई कोयला निवासी भैरूलाल किराड की पुत्री है, जिसका विवाह रामकुमार उर्फ राजकुमार पुत्र धूलीलाल किराड निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील किशनगंज के साथ आज से करीब 35 वर्ष पूर्व हुआ था और पति राजकुमार उर्फ रामकुमार के साथ अपने दामपत्य कर्तव्यों का निर्वहन करते हुये वादी की माता कान्हीबाई ने राजकुमार उर्फ रामकुमार के नुत्फे से वादी को जन्म दिया, इसके बाद घरेलू कारणों से वादी के पिता राजकुमार उर्फ रामकुमार ने वादी की माता कान्हीबाई को प्रचलित जाति प्रथानुसार छोड छुट्टी (तलाक) देकर ग्राम उम्मेदपुरा जिला झालावाड निवासी उर्मिला से विवाह कर लिया। तब कान्हीबाई वादी को साथ लेकर अपने पिता के पास चली आई और कान्हीबाई ने प्रचलित जाति प्रथानुसार ग्राम नारायणखेडा निवासी शिवलाल पुत्र भंवरलाल किराड के साथ नाता कर लिया, ततसमय वादी करीब 5–6 वर्ष का कान्हीबाई के साथ आया था, बतौर पुत्र वादी के पालन पोषण का सम्पूर्ण जिम्मा शिवलाल ने वहन करना स्वीकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:09:35 IST
Reason: SelfAttested

17.07.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

Scanned with OKEN Scanner

किया और इस हेतु उसी समय शिवलाल के पिता भंवरलाल पुत्र प्रानसुख किराड निवासी नारायणखेडा ने अपने खाते की भूमि ख0नं0 972 रकबा 2.02 बीघा तथा ख0नं0 974/514 रकबा 7.11 बीघा ग्राम समरानियां का विक्रयपत्र वादी के हक में तहरीर किया है। इस प्रकार वादी के जन्मदाता पिता राजकुमार उर्फ रामकुमार पुत्र धूलीलाल किराड निवासी लक्ष्मीपुरा हैं तथा पालन कर्ता पिता शिवलाल पुत्र भंवरलाल किराड निवासी नारायणखेडा है। विवादित भूमि वादी के नाम विधिवत आवंटन की गई है, जिसमें वादी के जन्मदाता पिता राजकुमार उर्फ रामकुमार का नाम अंकित है। वादी ने छल–कपट से कोई आवंटन नहीं कराया है और न ही कोई आपराधिक कृत्य किया है, अपितु वादी की आवंटित एवं खातेशुदा विवादित भूमि को हडपने की नीयत से प्रतिवादीगण ने यह मिथ्या काउन्टरक्लेम पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। विवादित भूमि वादी के हक में दिनांक 05.06.2002 को विधिवत आवंटन की गई है, आवंटन के समय वादी की उम्र 22 वर्ष थी, आवंटन पश्चात दिनांक 27.07.2002 को हल्का पटवारी द्वारा वादी को दखल दिया जाकर कब्जा संभलाया गया है और आवंटन शर्तों की पालना में वादी को खातेदारी दर्ज की गई है। वादी का आवंटन विधिवत है, वादी आवंटन समय के पूर्व से निरन्तर आज तक ग्राम नारायणखेडा में निवासरत है, वादी के खाते व कब्जेकाश्त की आवंटित एवं दखलशुदा भूमि पर प्रतिवादीगण को अवैधानिक कब्जा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है, जिन्हे वादी बेदखल कराकर पुनः कब्जा प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी है। प्रतिवादीगण आपस में पिता पुत्र है, जो गांव के प्रभावशाली धनाढय व ताकतवर लोग हैं, प्रतिवादी क्रम 1 पेशे से वकील हैं, जो येनकेन प्रकार से वादी की उक्त विवादित आराजी को छीनना चाहते हैं, इसी ध्येय से प्रतिवादीगण ने वर्ष 2009 में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर राजकुमार व विजयसिंह अहेडी निवासी नारानखेडा के जरिये वादी के विवादित अराजी आवंटन को खारिज कराने की नीयत से मिथ्या तथ्यों के आधार पर एक प्रार्थनापत्र नियम 14 (4) भूराजस्व अधिनियम 1970 के तहत न्यायालय ए.डी.एम शाहावाद में पेश कराया था, जिसे बाद विचारण न्यायालय ए.डी.एम. शाहाबाद ने निर्णय दिनांक 29.07.2010 से खारिज फरमा दियां और वादी का आवंटन विधिवत पाया जाकर बहाल रखा है, निर्णय की नकल पेश है। एक तरफ प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 147 की दर्ज 24 बीघा सिवायचक सरकारी भूमि में से 8 बीघा भूमि पर प्रतिवादीक्रम 2 के काबिज होने का कथन किया है और दूसरी ओर वादी के खाते व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 147/3 रकबा 12.00 बीघा भूमि पर बिना किसी हक व वैधानिक अधिकार के काउन्टरक्लेम के जरिये खातेदारी घोषणा चाही है, जो विधि विरूद्व होकर खारिज किये जाने योग्य है। यदि प्रतिवादीगण का किसी सिवायचक भूमि पर कब्जा है तो उसके खातेदारी हेतु उन्हे सरकार के विरूद्व वाद पेश करना चाहिये। विवादित भूमि वादी को आवंटन है, मौके पर दखल तथा कब्जा संभलाया गया है और आवंटन शर्तों की पालना में खातेदारी हक प्रदत्त किये गये है। भूमि पर आवंटन समय से गत वर्ष तक निरन्तर काबिज काश्त रहा है, गत वर्ष आषाढ माह में प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि पर अवैधानिक कब्जा कर लिया है जिसे वादी बेदखल कराने का अधिकारी है। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Jhangonia
Date: 2026.02.10 17:09:35 IST
Reason: SelfAttested

17.07.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner

का वाद अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः प्रतिवादीगण का काउन्टरक्लेम अस्वीकृत कर सव्यय खारिज किया जावे और वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गई –

1–आया प्रतिवादीगण ने वादी की खाते व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 147/3 रकबा 12.00 बीघा ग्राम नारायणखेडा पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है जिन्हे वादी बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने एवं भविष्य में दखलन्दाजी नहीं करने बावत प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है ? –जिम्मे वादी

2–आया वादी का आवंटन बेनामी होकर फर्जी है ? –जिम्मे प्रतिवादी

3–आया प्रतिवादीगण ख0नं0 147 की 8.00 बीघा भूमि सिवायचक पर विगत 30 वर्षों से काबिज होकर खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है ? –जिम्मे प्रतिवादी

4–आया वादी का वाद मियाद बाहर है ? –जिम्मे प्रतिवादी

5–दादरसी ?

प्रार्थनापत्र दिनांक 01.11.21 के आधार पर निम्न अतिरिक्त तनकी स्वीकृत की गई –

5–आया वादी राजकुमार उर्फ रामकुमार का पुत्र न होकर शिवलाल का पुत्र है ?

6–आया वादी वादी ने ग्राम नारानखेडा के ख0नं0 147/1 की भूमि पर दखल प्राप्त किया है और इस दावे में ख0नं0 147/3 की भूमि को अपना होना बताता है ?

दौराने दावा प्रतिवादीक्रम 1 की मृत्यु होने से दिनांक 01.04.2022 को प्रतिवादीक्रम 1 की हद तक वाद का उपशमन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अन्तर्गत वादी की ओर से वादी देवीलाल तथा गवाह सुल्तान के बयान कराये और दस्तावेज नकल जमाबंदी ग्राम नारानखेडा तहसील शाहाबाद सम्वत 2072–75 खाता संख्या 82 प्रदर्श 1, नकल नक्शा ट्रेस ख0नं0 147/3 प्रदर्श 2, नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3, नकल निर्णय दिनांक 29.07.2010 न्यायालय अति. जिला कलक्टर महोदय शाहाबाद प्रदर्श 4ए तथा दखलनामा प्रदर्श 5ए पेश किये। प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी राजेश मेहता तथा गवाह रघुवीर प्रसाद के बयान कराये और दस्तावेज प्रमाणपत्र राज0 उ0 मा0 विधालय कुशियारा प्रदर्श डी1, प्रवेश रजिस्टर प्रदर्श डी2, मतदाता सूची प्रति प्रदर्श डी3 तथा डी3ए, जमाबंदी खाता संख्या 203 ग्राम नारानखेडा प्रदर्श डी4, नक्शा प्रदर्श डी5, जमाबंदी खाता संख्या 50 293 33 80 211 व 1 ग्राम नारानखेडा प्रदर्श डी6 लगायत 11, आवंटन प्रपत्र प्रदर्श डी12, दखलनामा प्रदर्श डी13, जमाबंदी ग्राम नारानखेडा सम्वत 2056–57 प्रदर्श14, जमाबंदी ग्राम समरानिया व कुशियारा प्रदर्श डी15 व प्रदर्श डी16 पेश किये। वहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तनकीवार विवेचना निम्नानुसार है –

1–आया प्रतिवादीगण ने वादी की खाते व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 147/3 रकबा 12.00 बीघा ग्राम नारायणखेडा पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया है जिन्हे वादी बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने एवं भविष्य में दखलन्दाजी नहीं करने बावत प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है ? –जिम्मे वादी

Signature Not Verified
Digitally Signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:09:35 IST
Reason: SelfAttested

17.07.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner

इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की है। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम नारानखेडा तहसील शाहाबाद सम्वत 2072–75 खाता संख्या 82 प्रदर्श 1 तथा नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 से विवादित भूमि ख0नं0 147/3 रकबा 12.00 बीघा वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होना प्रमाणित है। वादी के कथनानुसार दावा प्रस्तुति से गत आषाढ माह में प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि पर धान बो दी और अवैध कब्जा कर लिया तथा कब्जा बनाये हुये हैं। प्रतिवादीगण के कथनानुसार विवादित भूमि पर उनका 30 वर्ष से कब्जा है। इससे यह तो साबित है कि विवादित आराजी पर वर्तमान में प्रतिवादीगण का कब्जा है। विवादित आराजी निर्विवाद रूप से वादी के रिकार्डेड खातेदारी की होना प्रमाणित है, जिस पर आवंटन पश्चात वादी को दखल दिया जाना भी प्रदर्श 5ए दखलनामा से प्रमाणित पाया जाता है, इसके अलावा प्रदर्श 3 गिरदावरी में वादी के हक में फसल टीप भी दर्ज है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने ख0नं0 147 की सिवायचक भूमि पर पिछले 30 वर्ष से अपना कब्जा होना बताया है, जिसकी पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है, यदि ख0नं0 147 की सिवायचक भूमिप र प्रतिवादीगण का कोई कब्जा होता तो इसका इन्द्राज बतौर अतिक्रमी 91 एल.आर.एक्ट अन्तर्गत अवश्य किया गया होता। इस प्रकार प्रतिवादीगण का कब्जा सिवायचक भूमि पर नहीं होकर विवादित आराजी ख0नं0 147/3 रकबा 12.00 बीघा पर होना पाया जाता है और प्रतिवादीगण के कब्जे की प्रस्थिति एक अतिक्रमी से अधिक कुछ नहीं है, जो बेदखल किये जाने योग्य है। तनकी वादी के हक में प्रमाणित पाई जाती है।

<u>2–आया वादी का आवंटन बेनामी होकर फर्जी है ? –जिम्मे प्रतिवादी</u>

इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की है। प्रतिवादी ने वादी के आवंटन प्रपत्र की प्रमाणित प्रति पेश की है, जो प्रदर्श 12 है, इसमें आवंटी देवीलाल द्वारा आवंटन कमेटी के समक्ष ग्राम नारानखेडा की आराजी ख0नं0 147 रकबा 12.00 बीघा के आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिस पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट लेने के बाद कमेटी द्वारा दिनांक 05.06.2002 को उक्त भूमि वादी के हक में आवंटन की गई है और प्रदर्श डी13 दखलनामा से आवंटित भूमि पर वादी को दखल दिया गया है। यहां उल्लेखनीय है कि वादी के इस आवंटन को पूर्व में राजकुमार विजयसिंह अहेडी द्वारा सक्षम न्यायालय श्रीमान ए.डी.एम. साहाब शाहाबाद के यहां चुनौती दी गई थी, जिस पर दर्ज प्रकरण संख्या 16/09 में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2010 से वादी का आवंटन बहाल रखा गया है। इतना ही नहीं पुनः प्रतिवादीकम 2 राजेश द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर वादी के आवंटन के विरूद्व शिकायत न्यायालय ए.डी.एम. साहाब शाहाबाद के यहां प्रस्तुत की गई थी, जिस पर दर्ज प्रकरण संख्या 02/19 में पारित निर्णय दिनांक 24.03.2022 से प्रतिवादीकम 2 राजेश का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाकर वादी का आवंटन बहाल रखा गया है। वादी का कथन है कि उसके जन्मदाता पिता रामक[illegible] राजकुमार हैं तथा पालक पिता शिवलाल हैं, इसका कोई खण्डन प्रतिवादीगण द्वारा [illegible] गया है। इस प्रकार इस तनकी को वादी का आवंटन सही एवं वैध होना पाया जाता है। इस प्रकार इस तनकी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:09:35 IST
Reason: SelfAttested

17.07.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण साबित करने में विफल रहे हैं, जो प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

3–आया प्रतिवादीगण ख0नं0 147 की 8.00 बीघा भूमि सिवायचक पर विगत 30 वर्षों से काबिज होकर खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी है ? –जिम्मे प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की है। प्रतिवादीगण ने आराजी ख0नं0 147 रकबा 8.00 बीघा सिवायचक भूमि पर विगत 30 वर्ष से काबिज होने का कथन किया है, लेकिन प्रतिवादीगण की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण का कोई भी कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता हो। अतः यह तनकी प्रमाणित नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

4–आया वादी का वाद मियाद बाहर है ? –जिम्मे प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की है। वादी का वाद बेदखली तथा स्थायी निषेधाज्ञा बावत प्रस्तुत किया गया है। बेदखली हेतु वाद परिसीमा प्रतिवादी द्वारा कब्जा करने की तिथी से 12 वर्ष नियत है। वादी द्वारा अपने वादपत्र के पैरा संख्या 4 में कथन किया गया है कि गत वर्ष आषाढ महीने में प्रतिवादीगण ने मिलकर ताकत के बल पर वादी की उक्त विवादित आराजी पर अवैधनिक रूप से फसल धान बो दी और अवैध कब्जा कर लिया, जिसके उत्तर में प्रतिवादीगण का जबाव रहा है कि प्रतिवादीगण अपने क़ब्जे की भूमि में पिछले 30 सालों से काश्त करते चले आ रहे हैं और विवादित आराजी प्रतिवादीकम 2 के कब्जे एवं स्वामित्व की है, परन्तु प्रतिवादीगण अपना कब्जा तथा स्वामित्व प्रमाणित करने में विफल रहे हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

5–दादरसी ?

अतिरिक्त तनकी

5–आया वादी राजकुमार उर्फ रामकुमार का पुत्र न होकर शिवलाल का पुत्र है ? –जिम्मे प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। वादी की ओर से प्रस्तुत लिखित वहस अनुसार रामकुमार वादी के जन्मदाता पिता हैं तथा बाद में वादी की माता ने शिवलाल से नाता किया और वादी को अपने साथ लेकर आई, तब शिवलाल ने वादी के पालन पोषण का जिम्मा लिया और इस उद्वेश्य से उसी समय शिवलाल के पिता भंवरलाल ने अपने खाते की आराजी ख0नं0 972 रकबा 2.02 बीघा व ख0नं0 974/514 रकबा 5.09 बीघा कुल 7.11 बीघा ग्राम समरानिया का विक्रयपत्र वादी के नाम तहरीर कराया, जो प्रदर्श डी15 अनुसार वादी के खाते दर्ज है। माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहाबाद के निर्णय दिनांक 24.03.2022 अनुसार यह तथ्य निर्णीत किया जा चुका है कि रामकुमार वादी के जन्मदाता पिता तथा शिवलाल पालनकर्ता पिता हैं। वादी का जन्म शिवलाल से हुआ हो इसे प्रतिवादीगण साबित करने में विफल रहे हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:09:35 IST
Reason: SelfAttested

17.07.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Scanned with OKEN Scanner

6–आया वादी वादी ने ग्राम नारानखेडा के ख0नं0 147/1 की भूमि पर दखल प्राप्त किया है और इस दावे में ख0नं0 147/3 की भूमि को अपना होना बताता है ? –जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की है। आवंटन प्रपत्र प्रदर्श 12 अनुसार वादी को ख0नं0 147 की 12.00 बीघा भूमि आवंटन की गई है, इस आवंटित भूमि पर प्रदर्श डी13 अनुसार वादी को दखल दिया गया है, दखलनामे में आराजी ख0नं0 147 पर दखल दिया जाना अंकित है, परन्तु दखलनामा की पुश्त पर अंकित नक्शे में 147/1 अंकित कर दिया गया है। बाद में आवंटन अमल के समय वादी की भूमि को ख0नं0 147/3 दिया गया है, जो मूल ख0नं0 147 में से बना है। अतः दखलनामा की पुश्त पर अंकित नक्शे में 147/1 अंकित हो जाने से यह नहीं माना जा सकता है कि वादी को ख0नं0 147/1 पर दखल दिया गया हो, क्योंकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नक्शा प्रदर्श डी5 में ख0नं0 147/1 की कोई तरमीम नहीं है और वादी को हल्का पटवारी द्वारा जो नकल नक्शा ट्रेस दिनांक 14.02.2024 को जारी की गई है वह दखलनामा के अनुरूप है, जो नक्शा किश्तवार के साथ संलग्न पत्रावली है। अतः यह तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

5–दादरसी ?

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि विवादित आराजी ख0नं0 147/3 रकबा 12.00 बीघा ग्राम नारानखेडा तहसील शाहाबाद पर से प्रतिवादीक्रम 2 व 3 को बेदंखल कर कब्जा वादी को संभलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जा काश्त में भविष्य में कोई दखलन्दाजी नहीं करें। नक्शे में दखलनामा अनुसार विवादित आराजी की तरमीम की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

17.07.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Jhingonia
Date: 2026.02.10 17:09:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner